

31/08/2000/15-7:06-16(83)/2006

प्रेषक,

बाबू राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शास.।।

प्रेषित, मे,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2006

विषय :- बाबू सरल तरस्वती विहार बीसलपुर मार्ग बरेली को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से
संयोजता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश
था है कि उक्त संयोजित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संयोजता हेतु अनापत्ति
प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन आपत्ति नहीं

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सीसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मध्यादी बच्चों के लिए सुरक्षित रहें और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संयोजता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौशिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वायलेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संयोजता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमय धनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

MANAGER
BASUBARAL SARASWATI VIHAR
Bisalpur Marg, Bareilly

Principal
Basubaral Saraswati Vihar
Bisalpur Marg, Bareilly

Principal
Basubaral Saraswati Vihar
(Affiliated To C.B.S.E., Delhi)
Bisalpur Road Bareilly

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिष्ठों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिष्ठों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की ढूँढ़ या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(बाबू राम)

अनु सचिव ।

पुसं०-2880 / 15-7-2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, बासुवरल सरस्वती विहार बीसलपुर मार्ग बरेली ।
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

आज्ञा से,

(बाबू राम)

अनु सचिव ।

MANAGER
BASUBARAL SARASWATI VIHAR
Bisalpur Marg, Bareilly

Principal
Basubaral Saraswati Vihar
Bisalpur Marg, Bareilly

Principal
Basubaral Saraswati Vihar
(Affiliated To C.B.S.E., Delhi)
Bisalpur Road, Bareilly